न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 45 / 2021

उनवान

1 छोटूराम गुर्जर उर्फ जगदीश पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी बिचपुडी तन देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपर।

वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. मुरली पुत्र भागीरथ
3. रामप्रताप पुत्र बोदू
4. महावीर पुत्र बोदू
5. कमलेश पुत्र बोदू
6. कौशल्या पत्नी बोदू
7. धोलू पुत्र प्रभात
8. मंगली पत्नी प्रभात
9. अणची बेवा जगन्नाथ
10. जमना देवी पत्नी मुरली
11. कालूराम पुत्र मुरली
12. चन्दा देवी पत्नी मुरली
13. आंची देवी पत्नी मुरली
14. विमला देवी पुत्री मुरली
15. अमरी देवी पुत्री मुरली
16. सुणी देवी पुत्री मुरली
17. राकेश पुत्र हजारी
18. दिनेश पुत्र हजारी
19. कोयली पुत्री हजारी
20. ओमप्रकाश पुत्र कल्याण सहाय
21. बाबूलाल पुत्र कल्याणसहाय
22. मुकेश पुत्र कल्याणसहाय
23. रामस्वरूप पुत्र कल्याण
24. स्वाती पुत्री कल्याण

समस्त जाति गुर्जर निवासी बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए</u>

निर्णय दिनांक – 9-9-2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 55, 56, 52, 133, 46, 50, 135, 139, 57 कुल किता 9 रकबा 2.46 है0 वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सगे भाई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के बुर्जुग पिता भागीरथ के फौत होने के पश्चात दोनो सगे भाई वादी व प्रतिवादीबराबर–बराबर हिस्से पर काबिज रहकर काश्त व उपभोग उपयोग कर रहे है। वादी का उक्त आराजी भूमि के राजस्व रिकार्ड में छोटूराम गुर्जर के स्थान पर जगदीश पुत्र भागीरथ नाम दर्ज हो गया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी का नामान्तरण तस्दीक करते समय पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी का बोलता नाम जगदीश पुत्र

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

भागीरथ अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम छोटूराम पुत्र भागीरथ है प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम छोटूराम पुत्र भागीरथ दर्ज है। वादी ने अपनी भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल निकलवाने पर वादी को मालूम चला कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र भागीरथ दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम छोटूराम पुत्र भागीरथ है जिस पर वादी पटवारी हल्का से जाकर मिला और नाम दुरूस्त करने हेतु कहा तो पटवारी हल्का ने कहा कि आप तहसीलदार महोदय से नाम दुरूस्ती हेतु आदेश लेकर आओ तब ही मैं आपका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करूंगा जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो उन्होने नाम दुरूस्ती करने से मना कर दिया और सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा इस कारण वादी बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

वादपत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी संख्या 2 की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद पत्र के अनुसार जगदीश पुत्र भागीरथ के स्थान पर छोटूराम पुत्र भागीरथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वादी की ओर से पैरोकार सरकार की नकल/रिपोर्ट पेश की गई।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस व वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड की गहनता से परीक्षण किया गया । वादी का नाम दस्तावेजात में छोटूराम दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र भागीरथ दर्ज है, तथा प्रतिवादीगण ने भी वादी का नाम जगदीश के बजाय छोटूराम दर्ज किये जाने की सहमति दी है। नायब तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में जगदीश गुर्जर उर्फ छोटूराम गुर्जर पुत्र भागीरथ गुर्जर एक ही आदमी है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 55, 56, 52, 133, 46, 50, 135, 139, 57 कुल किता 9 रकबा 2.46 है0 वाकै ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा में स्थित में दर्ज खातेदार जगदीश पुत्र भागीरथ के स्थान पर जगदीश उर्फ छोटूराम पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी बिचपुडी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 9-9-2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

मूल वाद में डिक्री [प्रपत्र – 5]

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 45 / 2021

दरम्यान

1 छोटूराम गुर्जर उर्फ जगदीश पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी बिचपुडी तन देवीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. मुरली पुत्र भागीरथ
3. रामप्रताप पुत्र बोदू
4. महावीर पुत्र बोदू
5. कमलेश पुत्र बोदू
6. कौशल्या पत्नी बोदू
7. धोलू पुत्र प्रभात
8. मंगती पत्नी प्रभात
9. अणची बेवा जगन्नाथ
10. जमना देवी पत्नी मुरली
11. कालूराम पुत्र मुरली
12. चन्दा देवी पत्नी मुरली
13. आंची देवी पत्नी मुरली
14. विमला देवी पुत्री मुरली
15. अमरी देवी पुत्री मुरली
16. सुणी देवी पुत्री मुरली
17. राकेश पुत्र हजारी
18. दिनेश पुत्र हजारी
19. कोयली पुत्री हजारी
20. ओमप्रकाश पुत्र कल्याण सहाय
21. बाबूलाल पुत्र कल्याणसहाय
22. मुकेश पुत्र कल्याणसहाय
23. रामस्वरूप पुत्र कल्याण
24. स्वाती पुत्री कल्याण

समस्त जाति गुर्जर निवासी बिचपुडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा पर दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए

निर्णय दिनांक – 9-9-2022

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 61, 62, 63 कुल किता 3 रकबा 1.38 हे0 वाके ग्राम देवीपुरा तहसील शाहपुरा में दर्ज खातेदार अमरचन्द पुत्र गुल्ला के स्थान पर बाबूलाल उर्फ अमरचन्द पुत्र गुल्ला जाति गुर्जर निवासी

देवीपुरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.8.20202 को सरे इजलास सुनाया गया । अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नम्बर 55, 56, 52, 133, 46, 50, 135, 139, 57 कुल किता 9 रकबा 2.46 है0 वाके ग्राम बिचपुडी तहसील शाहपुरा में स्थित में दर्ज खातेदार जगदीश पुत्र भागीरथ के स्थान पर जगदीश उर्फ छोटूराम पुत्र भागीरथ जाति गुर्जर निवासी बिचपुडी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 9-9-2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.